हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 फरवरी, 1996

संख्या सा0का0 नि0 16/के0 अ0 39/1987/धा0 28/96[1]– विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का 59) द्वारा तथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 28 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार इसके द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरणों के गठन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियत बनाती है, अर्थात् :–

1 (1) ये नियम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 कहे जा सकते हैं।

(2) ये हरियाणा सरकार के राज पत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

अध्याय –I

परिभाषाएं

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ––

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) द्वारा यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39),

(ख) ''अध्यक्ष'' से अभिप्राय है, राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष या जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष या उप–मण्डल विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो ,

(ग) ''लुप्त (छोड़ा हुआ) ,

(घ) ''जिला प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

(ड) ''उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 8 क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ,

(च) ''संयुक्त सदस्य सचिव'' से अभिप्राय है, नियम 8 के अधीन राज्य प्राधिकरण के संयुक्त सदस्य सचिव के रूप में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति ,

(छ) ''सदस्य'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा (6) (2) (ग) के अधीन नियुक्त राज्य प्राधिकरण का सदस्य, धारा 9 (2) के अधीन नियुक्त जिला प्राधिकरण का सदस्य, धारा 8क (2) के अधीन नियुक्त उच्च न्यायालय विधिक सेवा सामिति का सदस्य तथा धारा

---

[1] Published in Haryana Government Gazette on 27th February/26th April, 1996 and came into existence i.,e. 3.4.1996 (VYSK 31,1918 Saka).

11क (2) (ख) के अधीन नियुक्त उप मण्डल विधिक सेवा समिति का सदस्य या जैसी भी स्थिति हो,

(ज) ''सदस्य सचिव'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य–सचिव ,

(झ) ''अनुसूची'' से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूचियां ,

(ञ) ''धारा'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा ,

(ट) ''सचिव'' से अभिप्राय, अधिनियम की धारा 8 क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव, अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव से है [2],

(ठ) ''राज्य प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 6 (1) के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ,

(ड) ''उप मण्डल विधिक सेवा समिति'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 11क के अधीन गठित समिति ,

(ढ) इन नियमों में प्रयुक्त सभी शब्दों तथा पद किन्तु जो परिभाषित नहीं किए गए हैं, क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिए गए अर्थ होंगे ।

अध्याय–II

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

3 (1) राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात : –

(i) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रमुख (संरक्षक पैटर्न) के रूप में,

(ii) हरियाणा राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष ,

(iii) न्याय प्रशासन विभाग का सचिव,

(iv) वित्त विभाग का सचिव,

(v) विधि तथा विधायी विभाग का सचिव,

(vi) हरियाणा राज्य का महाधिवक्ता ,

(vii) हरियाणा राज्य की पुलिस का महानिदेशक

(viii) हरियाणा तथा पंजाब की बार कौंसिल का अध्यक्ष ,

(ix) निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा

---

[2] SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/5/2001-4JJ(I)dated2-8-2002.

(x) जिला प्राधिकरण के दो अध्यक्ष, जो पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हरियाणा सरकार द्वारा मनोनीत किए गए हो।

(xi) राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव।

(2) राज्य प्राधिकरण में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से निम्नलिखित नामित सदस्य होंगे :

(i) महिलाओं का एक प्रतिनिधि ,

(ii) अनुसूचित जातियों का एक प्रतिनिधि ,

(iii) संकायाध्यक्ष / अध्यक्ष, विधि विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय / कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय।

(3) राज्य सरकार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, इस नियम के उपनियम 2 (i) तथा 2 (ii) में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्तियों को इस नियम के उप नियम (4) में विहित योग्यताएं तथा अनुभव धारण करने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत कर सकती है।

(4) कोई व्यक्ति राज्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनयन के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह ––

(क) कोई उत्कृष्ट समाज सेवक जो लोगों के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगा हुआ है, जिसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं, बच्चे ग्रामीण तथा शहरी मजदूर शामिल है,

या

(ख) विधि के क्षेत्र में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति,

या

(ग) कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो विशेष रूप से विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में रूचि रखता है।

(घ) राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

(6) राज्य प्राधिकरण का मुख्यालय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थान पर अथवा पंचकूला में स्थित होगा ।

4.राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और उनसे संबंधित अन्य शर्तें :

(1) नियम 3 के उप नियम (1) (x) तथा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा मनोनीत राज्य प्राधिकरण के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए बने रहेंगे तथा पुनः मनोनयन के लिए पात्र होंगे।

(2) नियम 3 के उप नियम (1) (x) तथा (2) के अधीन मनोनीत राज्य प्राधिकरण का कोई सदस्य पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है. यदि राज्य सरकार की राय में वह सदस्य के रूप में बने रहने के लिए वांछनीय नहीं है।

(3) नियम 3 के उप नियम (1) (x) तथा (2) के अधीन मनोनीत कोई सदस्य, यदि किसी कारण से राज्य प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहता है तो रिक्ति उसी रीति में भरी जाएगी जैसे कि मूल मनोनयन और इस प्रकार मनोनीत व्यक्ति उस सदस्य की शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में बना रहेगा जिसके स्थान पर वह मनोनीत किया जाता है।

(4) नियम 3 के उप नियम (1) (x) तथा (2) के अधीन मनोनीत सभी सदस्य राज्य प्राधिकरण के कार्य संबंध में की गई यात्रा के सम्बन्ध में यात्रा भत्ते तया दैनिक भत्ते के भुगतान के लिए हकदार होंगे तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा, समय–समय पर यथा संशोधित ग्रुप ''क'' के अधिकारियों को यथा लागू नियम के अनुसार उन्हें भुगतान किया जाएगा।

(5) यदि मनोनीत सदस्य सरकारी कर्मचारी है, तो वह अपने पैतृक विभाग से यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का दावा करने के लिए हकदार होगा।

अध्याय III

सदस्य सचिव

5 (1) धारा 6 या इसके उपबंध के अर्थ में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एक सदस्य सचिव होगा जो हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष की सिफारिशों पर पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

6. राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की शक्तियॉ और कार्य :राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव के अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे–

(क) पात्र तथा कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सेवाएं देना;

(ख) राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विधिक सेवा स्कीमों तथा कार्यक्रमों की रूपात्मकता का परीक्षण करना तथा उनके प्रभावी मॉनीटर तथा कार्यान्वयन करने को सुनिश्चित करना;

(ग) राज्य सरकार में विभागाध्यक्ष के रूप में, प्रशासनिक, गृह–व्यवस्था, वित्त तथा बजट मामलों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करना;

(घ) राज्य प्राधिकरण की सम्पत्तियां, अभिलेखों तथा निधियों का प्रवन्ध करना;

(ड)राज्य प्राधिकरण के सही तथा उचित लेखे रखना जिसमें समय–समय पर उसके संबंध में जांच–पड़ताल तथा लेखा परीक्षा शामिल है ;

(च) उक्त प्राधिकरण की वार्षिक आय तथा व्यय लेखा तथा तुलन–पत्र तैयार करना ;

(छ) सामाजिक कार्य ग्रुपों तथा जिला तथा उप–मण्डल विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ सम्पर्क करना;

(ज) समय–समय पर विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में की गई प्रगति सहित अद्यतन तथा पूर्ण सांख्यिकीय जानकारी बनाए रखना;

(झ) वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रक्रिया तथा उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना;

(डा) राज्य प्राधिकरण द्वारा यथार्तंनुमोदित विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा विधिक सेवा कार्यक्रम और रिपोर्टस तैयार करना तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने से सम्बद्ध बैठकें/सेमिनार तथा कर्मशालाओं का आयोजन करना;

(ट) वीडियो/वृत–चित्त, प्रचार सामग्री, साहित्य तैयार करना तथा विधिक सेवा कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में आम जनता की सूचना के लिये उनका प्रकाशन करवाना;

(ठ) ग्रामीण विवादों के समाधान पर बल देना तथा ग्रामीण लोगों की देहली पर ग्रामीण विवादों को सुलझाने के लिये प्रभावी तथा अर्थपूर्ण विधिक सेवा के लिये स्कीमें तैयार करने के लिये अतिरिक्त उपाय करना;

(ड) अधिनियम की धारा 4 (ख) के अधीन प्रतिपादित स्कीमों के अधीन ऐसे कृत्यों का पालन, जो उसे सौंपे जाएं; और

(ढ) ऐसें अन्य कृत्यों का पालन करना जोकि राज्य प्राधिकरण के कुशल कार्यकरण के लिये उचित हो सकते हैं।

7. राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव के पद की शर्तें एवं उससे संबंधित अन्य शर्तें:

(1) राज्य प्राधिकरण का सदस्यसचिव पूर्णकालिक कर्मचारी होगा तथा पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिये पद धारण करेगा।

(2) राज्य प्राधिकरण का सदस्य–सचिव कार्यालय का प्रमुख होगा।

(3) सेवानिवृत्ति कीआयु, वेतन तथा भत्ते लाभों तथा हकदारियों अनुशासनिक जैसे सभी मामलों में सदस्य–सचिव राज्य सरकार के नियमों द्वारा शासित होगा तथा राज्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर होगा।

अध्याय IV

8. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त सदस्य सचिव : राज्य प्राधिकरण के निर्विध्न कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष की सिफारिश पर राज्य सरकार राज्य प्राधिकरण का एक संयुक्त सचिव नियुक्त कर सकती है जो वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे की पदवी का नहीं होगा।

9. राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की संख्या :

(1) राज्य प्राधिकरण इसके दैनिक कृत्यों के लिये तथा लिपिकीय सहायता देने के लिये ऐसी संस्था में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को रखेगा जोकि इन नियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट है अथवा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए।

(2) राज्य प्राधिकरण के गठन गर, अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट हरियाणा राज्य विधिक सेवा तथा सलाह समिति का विद्यमान अमला उक्त राज्य प्राधिकरण, को स्थानान्तरित किया गया समझा जायेगा।

10. राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तें, वेतन एवं भत्ते :

(1) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी इन नियमों का अनुसूची 1 में, प्रत्येक पद के सामने अंकित किये गये वेतनमान में या समकक्ष पद धारण करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन तथा भत्ते लेने के हकदार होंगे।

(2) सेवा निवृत्ति, आयु, वेतन तथा भत्ते, प्रसुविधाओं तथा हकदारियों तथा अनुशासनिक मामलों जैसे सभी अन्य मामलों में राज्य प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के ऐसे नियमों द्वारा शासित होंगे जो समकक्ष पद धारण करने वाले व्यक्तियों को लागू है।

(3) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों तथा लाभों के हकदार होंगे जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

व्याख्या : उपनियम (1), (2) और (3) में आने वाले शब्द ''भत्ते'', ''लाभ'', ''हकदारी'' और ''सुविधाएं'' में ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, आवास, चिकित्सा लाभ, पेंशन, समूह बीमा और ऐसे अन्य लाभों की हकदारी शामिल समझी जाएगी, जो राज्य सरकार के समकक्ष पद धारण करने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।[3]

अध्याय V

11. लुप्त(हटाया गया)[4]

अध्याय VI

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

12. लुप्त (हटाया गया)[5]

13[6]. **धारा 8ए की उपधारा (3) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव एवं योग्यताएं** – कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह पंजाब एवं हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा का सदस्य न हो ,

बशर्ते कि यदि पंजाब एवं हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्यों में से कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो उच्च न्यायालय का कोई अधिकारी जो संयुक्त रजिस्ट्रार के पद से नीचे का न हो, उक्त समिति के सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

14.उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संरचना तथा अनुभव तया योग्यताएं दोनों राज्यों के राज्य प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अधिकथित की जाएगी ।

अध्याय VII

जिला प्राधिकरण

15. हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होगा।

(1) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य आठ से अधिक नहीं होंगे ।

---

[3]Added by Haryana Government vide notification No.20/5/2001-4JJ(I), dated2-8-2002.
[4]Omitted by Haryana Government vide notification No.20/5/2001-4JJ(I), dated 2-8-2002.
[5]OmittedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/5/2001-4JJ(I), dated 2-8-2002.
[6]SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/17/2000-4JJ(I), dated12-7-2001.

(2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :–

(i) अध्यक्ष के रूप में जिला तथा सत्र न्यायाधीश ;

''परन्तु जहां किसी जिले के मुख्यालय पर कोई जिला एवं सत्र न्यायाधीश तैनात नहीं है (जैसा कि सत्र प्रभाग से भिन्न है), ऐसी स्थिति में वहां तैनात वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी, जैसा भी मामला हो, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा।''[7]

(ii) जिला मजिस्ट्रेट ;

(iii) पुलिस कमीशनर / पुलिस अधीक्षक ;

बशर्ते कि जहां पुलिस आयुक्त किसी जिले में पुलिस बल का प्रमुख हो, वहां पुलिस आयुक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पदेन सदस्य होगा।[8]

(iv) जिला न्यायावादी ;

(v) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिव होंगे।[9]

(3)निम्नलिखित मनोनीत सदस्य होंगे :

(क) एक सामाजिक कार्यकर्ता ; और

(ख) महिलाओं का एक प्रतिनिधि ।

(4) राज्य सरकार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इस नियम के उपनियम 5 में विहित योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले उन व्यक्तियों में से इस नियम के उप नियम 3 में यथा विनिर्दिष्ट दो व्यक्तियों की मनोनीत कर सकती है।

(5) कोई भी व्यक्ति तब तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामांकन के योग्य नहीं होगा जब तक वह, –

(क) एक ऐसा प्रतिष्ठित समाज सेवक नहीं है जो अनुसूचित जातियों, अनु–सूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं, बच्चों तथा ग्रामीण मजदूरों सहित कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान में नहीं लगा हुया है;

(ख) विधि के क्षेत्र में कोई विख्यात व्यक्ति ; अथवा

(ग) ख्याति प्राप्त कोई व्यक्ति जो विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में विशेष रूप से रूचि रखता हो ।

16. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियेां और अन्य कर्मचारियों की संख्या :

(1) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सांचबिक सहायता करने के लिये तथा अपने दैनिक कृत्यों के लिये अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की ऐसी संख्या रखेगा जो इन नियमों के भाग II अनुसूची I में बताई गई है अथवा जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ।

---

[7] SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/17/2000-4JJ(I)dated19.10.2000.
[8] SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.S.O.45/C.A.39/1987/S.28/2009 dated29.5.2009.
[9] SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.S.O.45/C.A.39/1987/S.28/2009 dated29.5.2009.

(2) जिला प्राधिकरण के गठन पर भाग II, अनुसूची II में यथा निनिर्दिष्ट जिला विधिक सेवाओं तथा सलाह समितियों का विद्यमान अमला उक्त जिला प्राधिकरणों में स्थानान्तरित किया गया समझा जाएगा।

17. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तें, वेतन और भत्तें :

(1) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी इन नियमों के भाग II अनुसूची I में प्रत्येक पद के सामने दर्शाए गए वेतनमान अथवा समकक्ष पद भ्रारण करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामने बेतन तथा भत्ते लेने के हकदार होंगे।

(2) सेवानिवृत्त आयु, वेतन तया भत्ते प्रसुविधाओं तथा हकदारियों तथा अनुशासनिक मामलों जैसे सभी अन्य मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के ऐसे नियमों द्वारा शासित होंगे जो समकक्ष पदधारियों को लागू होते हैं।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी ऐसी आन्यं सुविधाओं, भत्ते तथा प्रसुविधाओं के हकवार होंगे जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारां अधिसूचित किए जाएं ।

स्पष्टीकरण,– उपनियम (1), (2) और (3) में आने वाले शब्द ''लाभ'' , ''लाभ'', ''हकदारी'' और ''सुविधाऐं'' में उपदान, भविष्य निधि, आवास, चिकित्सा लाभ, पेंशन, समूह बीमा और ऐसे अन्य लाभ की हकदारी सम्मिलित समझी जाएगी जो राज्य सरकार के समकक्ष पद धारण करने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।[10]

अध्याय VIII

उप–मंडल विधिक सेवा समिति

18.उप–मण्डल विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और योग्यताएं:

(1) उपमंडल विधिक सेवा समिति के छह से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) उपमंडल विधिक सेवा समिति के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :–

(i) अध्यक्ष के रूप में उपमंडल का वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी[11] ।

(ii) उपमंडल अधिकारी ;

(iii) उपमंडल पुलिस अधिकारी।

(iv) सदस्य सचिव के रूप में उपमंडल का प्रथम श्रेणी का उप–न्यायाधीश।

(3) निम्नलिखित मनोनीत सदस्य होंगे :–

(क) एक समाज सेवक ; और

(ख) महिलाओं का एक प्रतिनिधि ।

---

[10] InsertedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/5/2001-4JJ(I)dated2.8.2002.
[11] SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/5/2001-4JJ(I) dated2.8.2002.

(4) राज्य सरकार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इस नियम के उपनियम (5) में विहित योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले उन व्यक्तियों में से इस नियम के उपनियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट दो व्यक्तियों को मनोनीत कर सकती है ।

(5) कोई भी व्यक्ति उपमंडल विधिक सेवा समिति के सदस्य के रूप में नामांकन के लिए योग्य नहीं होगा जब तक वह,——

(क) वह ऐसा प्रतिष्ठा वाला सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं, बच्चों तथा ग्रामीण मजदूरों सहित कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान में नहीं लगा हुआ है, अथवा

(ख) विधिक के रूप में कोई विख्यात व्यक्ति; अथवा

(ग) ख्याति प्राप्त कोई व्यक्तिको विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में विशेष रूप से रुचि रखता हो।

टिप्पणी[12]—इस समय के लिए कोई लिपिकीय अथवा अनुसचिवीय स्टाफ नहीं दिया जाएगा । उप मण्डल का वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी उपमंडल विधिक सेवा समिति के कार्य की देखभाल करेगा ।

अध्याय IX

विधिक सेवा की पात्रता

19. विधिक सेवा प्रदान करने की पात्रता :भारत का कोई भी नागरिक जिसकी सभी साधनों से वार्षिक आय 3,00,000 रुपए (तीन लाख रुपए)[13] से अधिक नहीं है या ऐसी उच्चतम राशि, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये, इस अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (ज) को अधीन विधिक सेवा के हकदार होंगे :

परन्तु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा उप मण्डल विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, किसी अन्य व्यक्ति को उसकी आय की ओर ध्यान दिए बिना विधिक सेवा दे सकता है ;

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या पिछड़े वर्गों के किसी सदस्य को ;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथा विनिर्दिष्ट मानवता में दुर्व्यापार अथवा बेगार से पीड़ित को;

(ग) किसी महिला को;

(घ) बच्चा अर्थात् व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो या यदि वह संरक्षक और प्रतिपालय अधिनियम, 1890, के अधीन संरक्षकता के अधीन 21 वर्ष की आयु का हो ;

---

[12] SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/17/2000-4JJ(I)dated2.8.2000.
[13]SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/15/2009-4JJ(I)dated 25.6.2012.

(ङ) दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1) 1996[14] की धारा 2 के खंड (क) में परिभाषित दिव्यांगजन को;

(च) सामुहिक संकट, मानव जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाड़, सूखा, भूचाल अथवा औद्योगिक विपत्ति के पीड़ित होने के कारण अनर्जित अनुभाव की परिस्थितियों के अधीन किसी व्यक्ति को;

(छ) किसी औद्योगिक कर्मकार को ;

(ज) हिरासत में रखे गए किसी व्यक्ति को, जिसमें अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (जी) के अर्थ के अंतर्गत संरक्षण गृह में हिरासत शामिल है, या किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (ई), (ओ), (यू) और (वी) के अर्थ के अंतर्गत बाल गृह, संप्रेक्षण गृह, आश्रय गृह और विशेष गृह में हिरासत शामिल है।[15];

(झ) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987, की धारा 2 के चण्ड (७) या किसी मनोविकृति संबंधी अस्पताल में किसी व्यक्ति को; या

(ड) किसी परीक्षण के मामले में, जिसके निर्णय गरीब तथा कमजोर वर्गों से संबंधित अन्य व्यक्तियों के बहुसंख्यक मामले प्रभावित होने की संभावना है ;

(ट) विशेष मामले में, जिसके लिये लिखित में अभिलिखित कारणों के लिये विधिक सेवा के लिये अन्यथा पात्र समझा जाता है, जहां साधन परीक्षण सन्तुष्टि नहीं की जाती है, किसी व्यक्ति को ;

(ठ) जहां किसी आादेश के अधीन उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता उपलब्ध करवाता है, की दशा में किसी व्यक्ति को ऐसे मामले में इस नियम में अधिकथित सभी शर्तों में ढील देकर प्राधिकरण/समिति द्वारा विधिक सेवा उपलब्ध करवाई गई समझी जाएगी; या

(ड) लोक हित वादी भी दशा में किसी व्यक्ति को; या

(ढ) किसी भूतपूर्व सैनिक और ऐसे व्यक्तियों के परिवारों को, जो युद्ध में शहीद हुए हैं[16]; या

(ण) दंगा पीड़ितों और ऐसे व्यक्तियों के परिवारों के साथ–साथ आतंकवाद पीड़ितों और ऐसे व्यक्तियों के परिवारों को; या[17]

(च) स्वतंत्रता सेनानियों को।[18]

---

[14]SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/15/2009-4JJ(I)dated 25.6.2012.
[15]SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/27/87-4JJ(I) dated13.11.2002.
[16]InsertedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/17/2000-4JJ(I)dated3.3.2006.
[17]InsertedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/17/2000-4JJ(I)dated3.3.2006.
[18]InsertedbyHaryanaGovernmentvideNotificationNo.20/10/96-4JJ(I) dated19.10.2010.

(छ)ट्रांसजेंडर व्यक्ति।[19]

(ज) वरिष्ठ नागरिक, अर्थात् वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो गया हो।[20]

(झ) एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति या एड्स रोगी ।[21]

20. वे मामलें जिन पर कानूनी सेवा स्वीकार्य है – (1) उच्चतम न्यायालय तथा किसी अधिकरण, राजस्व न्यायालय तथा इसके साथ सरकार के सभी कार्यालयों तथा न्यायिक कल्प कृत्यों का निर्वहन करने वाले अन्य निकायों तक किसी भी विधि न्यायालय में मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है।

(2) विधिक सहायता सभी सिविल, अपराधिक, राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों में उपलब्ध है ।

21. कानूनी सेवाएं प्रदान करने के तरीके –विधिक सेवा निम्नलिखित ढंगों में से सभी या किसी एक में दी जा सकती है, अर्थात :–

(क) कार्यालय फीस, प्रक्रिया फीस, साक्षियों, पत्र–पुस्तक के व्यय, अधिवक्ता की फीस तथा किन्हीं विधिक कार्यवाहियों से सम्बद्ध भुगतान योग्य तथा उपगत सभी अन्य प्रभारों द्वारा;

(ख) विधिक कार्यवाहियों में किसी विधि व्यवसायी द्वारा अभिवेदन द्वारा ;

(ग) विधिक कार्यवाहियों में न्याय निर्णयों, आदेशों, टिप्पणों या साक्ष्य तथा अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां सप्लाई करने द्वारा ;

(घ) अपील पत्र–पुस्तक तैयार करने द्वारा, इसमें विधिक कार्यवाहियों मे दस्तावेजों का मुद्रण, टाईप करना तथा अनुवाद शामिल है।

(छ) विधिक दस्तावेजों के प्रारूपण द्वारा।

कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रक्रिया

22. विधिक सेवा के लिये आवेदनः–

(1) विधिक सेवा प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण के सदस्य–सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, उप–मंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष (जिन्हें आगे प्राधिकरण/समिति का सदस्य सचिव, सचिव या अध्यक्ष कहा जाएगा) को संबोधित आवेदन कर सकेगा।[22]

(2) संबंधित प्राधिकरण/समिति का सदस्य सचिव, सचिव या अध्यक्ष आवेदनों का एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें उप–नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त विधिक सेवा के सभी आवेदनों को दर्ज किया जाएगा।[23]

23. प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण ––

---

[19] InsertedbyHaryanaGovernmentvideNotificationNo20/10/96-4JJ(1)dated19.10.2010.
[20] InsertedbyHaryanaGovernmentvideNotificationNo20/10/96-4JJ(1)dated19.4.2011.
[21] InsertedbyHaryanaGovernmentvideNotificationNo20/10/96-4JJ(1)dated12.8.2014.
[22] SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/5/2001-4JJ(I) dated2.8.2002.
[23] SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/5/2001-4JJ(I) dated2.8.2002.

(1) नियम 22 के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकरण/समिति का सदस्य सचिव, सचिव अथवा अध्यक्ष[24] इस प्रयोजन के लिए आवेदन की छानबीन करेगा कि क्या आवेदक इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार विधिक सेवा प्राप्त करने का हकदार है या नहीं, तथा ऐसे निर्णय पर पहुंचने के प्रयोजन के लिए, वह आवेदक से ऐसी और सूचना देने की अपेक्षा कर सकता है जो आवश्यक हो, तथा यदि आवश्यक हो तो वह आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई भी दे सकता है तथा ऐसा करने में सदस्य–सचिव इस तथ्य का ध्यान रखेगा कि आवेदक एक निर्धन व्यक्ति है या समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित है तथा विधिक सहायता प्राप्त करने के मामले में सहायता किए जाने का पात्र है।

(2) विधिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्राधिकरण/समिति का सदस्य सचिव, सचिव अथवा अध्यक्ष,[25]जैसी भी स्थिति हो, का विनिश्चय अन्तिम होगा :

बशर्ते कि यदि प्राधिकरण/समिति के सदस्य–सचिव, सचिव या अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, की राय हो कि आवेदक विधिक सेवा का पात्र नहीं है, तो वह आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा, लेकिन ऐसी अस्वीकृति को राज्य प्राधिकरण के सदस्य–सचिव द्वारा राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के ध्यान में लाया जाएगा, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव द्वारा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के ध्यान में लाया जाएगा, जिला प्राधिकरण के सचिव द्वारा जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के ध्यान में लाया जाएगा और उप–मंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के ध्यान में लाया जाएगा, जो विधिक सेवा के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के संभवतः दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा।;[26]

(3) जहाँ यह विनिश्चित किया जाता है कि आवेदक को विधिक सहायता नहीं दी जानी है, तो ऐसा न करने के कारण प्राधिकरण/समिति द्वारा रखे गए आवेदनों के रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे तबा उस प्रभाव की सूचना, लिखित रूप में, आवेदक को संसूचित की जाएगी ।

(4) विधिक सेवा अनुदत्त करने के पश्चात् कोई विधिक सेवा अनुदत्त नहीं की जाएगीया परिरुद्ध की जायेगी, यदि प्राधिकरण/समिति सन्तुष्ट हो जाती है कि, –

(क) आवेदक ने जानबूझ कर गलत कथन किया है या अपनी आय या निवास–स्थान के संबंध में झूठी सूचना दी है; या

(ख) किसी आपराधिक अभियोजन से संबंधित से भिन्न कार्यवाहियों में, यथा स्थिति, संस्थित करने के लिए या कार्यवाहियों के प्रतिवाद के लिये स्पष्ट द्रष्टया कोई केस नहीं है; या

(ग) आवेदन तुच्छ तथा बनावटी है; अथवा

(घ) आवेदक, नियम 19 अथवा नियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन उसका एकदार नहीं है ; अथवा

(छ) मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखवे हुए, वह अन्यथा अनुदान के लिए समुचित नहीं है।

---

[24]SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/5/2001-4JJ(I) dated2.8.2002.
[25]SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/5/2001-4JJ(I) dated2.8.2002.
[26] SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/5/2001-4JJ(I) dated2.8.2002.

24. कानूनी सहायता के लिए पैनल –

(1) राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, उप–मण्डल विधिक सेवा समिति तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति, विधिक व्यवसायियों के पैनल की ऐसी संख्या तैयार करेगा, जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) उप–नियम (1) के अधीन बनाया प्रत्येक पैनल, इसके बनाए जाने की तिथि से दो वर्ष के लिए बना रहेगा ।

(3) विधिक सेवा के लिए विधिक व्यवसायियों की नियुक्ति, जहां तक संभव हो सके, प्राधिकरण/समिति द्वारा उप–नियम (1) के अधीन बनाए गए विधिक व्यवसायियों के पैनल में से होगी :

परन्तु प्राधिकरण/समिति जहां वह न्याय देने के लिए आवश्यक अमले किसी पैनल में शामिल न किए गए किसी विधिक व्यवसायी को नियुक्त कर सकता/सकती है और यहां तक कि आवेदक की रुचि का विधिक व्यवसायी भी नियुक्त कर सकती है ।

(4) पैनल में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को, संबंधित सदस्य सचिव, ''सचिव या प्राधिकरण/समिति के अध्यक्ष''[27] को, जैसा भी मामला हो, लिखित रूप में पैनल में सेवा करने की अपनी इच्छा से अवगत कराना होगा।

(5) त्याग–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा के कारण पैनल में हुई कोई रिक्ति, जहां तक संभव हो सके प्राधिकरण/समिति द्वारा भरी जाएगी।

(6) यदि, कोई व्यक्ति पैनल पर सेवा के लिए सहमत होने के बाद, अपने कर्तव्यों के उचित रूप में निर्वहन में उपेक्षा अथवा इन्कार करता है, प्राधिकरण/ समिति, उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद उसका नाम पैनल में से हटा सकता/सकती है ।

(7) यदि, कोई व्यक्ति, पैनल पर सेवा के लिए सहमत होने के बाद, कदाचार का दोषी है या इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह पैनल में से हटाए जाने का दायी होगी ।

(8) प्राधिकरण/समिति द्वारा यथा अन्यथा निर्दिष्ट के सिवाय, कोई विधिक व्यवसायी, पैनल से हट जाता है, चाहे त्याग–पत्र के कारण अथवा अन्यथा जहां तक व्यवहार्य हो, उसके इस प्रकार पैनल पर से जाने के बाद, मामलों से संबंधित उसे सौंपे गए सभी कागज–पत्रसंबंधित प्राधिकरण/समिति के सदस्य सचिव, सचिव अथवा अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को सौंप देगा।[28]

25. पैनल में शामिल अधिवक्ता के कर्तव्य –

(1) इन नियमों के अधीन सहायता प्राप्त व्यक्तिको विधिक सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त विधिक व्यवसायी, –

(क) यदि मामला किसी न्यायालय में चल रही कार्यवाही से संबंधित नहीं है, तो न्यायाधिकरण या प्रशासनिक न्यायाधिकरण सहायता प्राप्त व्यक्ति या उसका प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की सुनवाई करेगा और मामले से संबंधित कागजातों और दस्तावेजों की जांच करेगा तथा सहायता प्राप्त व्यक्ति को लिखित में अपनी सलाह देगा और इस

---

[27]SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/5/2001-4JJ(I) dated2.8.2002.

[28] SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/5/2001-4JJ(I) dated2.8.2002.

प्रकार दर्ज की गई सलाह की एक प्रति प्राधिकरणरुसमिति के सदस्य–सचिव, सचिव या अध्यक्ष को भी भेजेगा, जैसा भी मामला हो और[29]

(ख) यदि मामला किसी कानूनी कार्यवाही से संबंधित है, तो वह सहायता प्राप्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा और कानूनी कार्यवाही में उसके लिए कार्य करेगा और पैरवी करेगा और प्राधिकरण/समिति के सदस्य–सचिव, सचिव या अध्यक्ष को, जैसा भी मामला हो, उसके द्वारा की गई कार्रवाई पर तुरंत रिपोर्ट देगा और कानूनी कार्यवाही की प्रगति के संबंध में सदस्य सचिव को मासिक रिपोर्ट भी देगा।[30]

(2) विधि व्यवसायी, जब तक वह पैनल में बना रहेगा, प्राधिकरण/समिति के सदस्य–सचिव, सचिव या अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।[31]

26. **पैनल में शामिल अधिवक्ता को देय मानदेय** :विधिक व्यवसायियों को ऐसा मानदेय भुगतान किया जाएगा जो समय–समय पर राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

27. सहायक प्राप्त व्यक्ति के कर्तव्य : विधिक सेवा चाहने वाला व्यक्ति प्राधिकरण/समिति अथवा इसके किसी भी सदस्य द्वारा विधिक सेवा के लिये किए गए आवेदन–पत्र की तिथि से विधिक सेवा के पूरा होने अथवा समाप्ति अथवा पात्रता को रद्द होने तक, उससे की गई अध्यापेक्षा तथा निर्देशों का अनुपालन करेगा ।

27क[32].सहायता प्राप्त व्यक्तियों से विधिक सहायता व्यय की वसूली।

(1) इन नियमों के साथ संलग्न है, जिसमें वह उपयुक्त मामलों में, लागत/प्रभार के ऐसे भाग के लिए, जो मुकदमे के वित्तपोषण में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/उप–विभागीय विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा वहन किया गया हो और जिसके परिणामस्वरूप अंततः किसी न्यायालय/अधिकरण द्वारा सहायता प्राप्त व्यक्ति के पक्ष में लागत/प्रभार अधिनिर्णीत किया गया हो, वापसी/वसूली का वचन देगा। उक्त प्रपत्र में सहायता प्राप्त व्यक्ति द्वारा, मुकदमे में ऐसे लागत/प्रभार अधिनिर्णीत करने वाले न्यायालय/अधिकरण को, जिसके परिणामस्वरूप उसके पक्ष में ऐसे लागत/प्रभार अधिनिर्णीत किए गए हों, सीधे संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति को, जिसने उसके मुकदमे का वित्तपोषण किया हो, वापसी का आदेश देने के लिए प्राधिकृत करने का भी प्रावधान होगा। सहायता प्राप्त व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाने वाले उपरोक्त समझौते में एक अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में एक खंड भी शामिल होगा, जो संबंधित प्राधिकरण/समिति के सदस्य–सचिव, सचिव या अध्यक्ष को ऐसे सभी कार्य और चीजें करने के लिए अधिकृत करेगा, जो किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा उसे दिए गए आदेश या आदेश की वसूली/वसूली के लिए आवश्यक हो सकते हैं। जहाँ असावधानी या अन्यथा के कारण, ऐसे न्यायालयों द्वारा किसी सहायता प्राप्त व्यक्ति द्वारा वसूली योग्य कोई लागत आदेशित की जाती है और उसके पक्ष में जारी की जाती है, वहाँ सहायता प्राप्त व्यक्ति ऐसी राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर संबंधित प्राधिकरण/समिति को ऐसी लागत/प्रभार जमा कराने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगा और निर्धारित अवधि के भीतर उसे जमा न कराने पर, उक्त लागत/प्रभार उस जिले के कलेक्टर द्वारा

---

[29] SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/5/2001-4JJ(I) dated2.8.2002.
[30] SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/5/2001-4JJ(I) dated2.8.2002.
[31] SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/5/2001-4JJ(I) dated2.8.2002.
[32] SubstitutedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/5/2001-4JJ(I) dated2.8.2002.

सहायता प्राप्त व्यक्ति से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाएँगे जिसमें सहायता प्राप्त व्यक्ति निवास कर रहा हो या संपत्ति रखता हो और इस प्रकार वसूली होने पर, कलेक्टर उसे संबंधित प्राधिकरण/समिति को भेज देगा।

परंतु जहाँ अधिनिर्णीत लागत/प्रभार की राशि 1000/– रुपये (केवल एक हजार रुपये) से कम है, यह संबंधित प्राधिकरण/समिति के सदस्य–सचिव, सचिव या अध्यक्ष के पूर्ण विवेक पर निर्भर होगा कि ऐसी राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ा जाए या नहीं।

प्रपत्र[33]

(नियम 27क देखें)

मैं...पुत्र/पुत्री,पत्नी..............................निवासी...एतद्वारा सहमत हूँ कि यदि न्यायालय/न्यायाधिकरण अंततः मेरे पक्ष में कोई डिक्री या आदेश पारित करता है जिसमें मुझे खर्च या अन्य मौद्रिक लाभ या फायदा प्रदान किया जाता है, तो प्राधिकरण/समिति द्वारा मेरी ओर से वहन किए गए मुकदमे के खर्च उस मौद्रिक लाभ/डिक्री पर प्रथम भार रहेंगे। मैं स्वयं को यह भी बाध्य करता हूँ कि मुकदमे के उक्त खर्च की वसूली हेतु उक्त लाभ/डिक्री को मेरे पक्ष में जारी करने के लिए, प्राधिकरण/समिति के सदस्य–सचिव, सचिव या अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, बिना किसी अतिरिक्त कानूनी दस्तावेज के मेरे विशेष वकील के रूप में कार्य करने के लिए कानूनी रूप से हकदार होंगे।

मैं, इसके द्वारा यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पक्ष में दी गई डिक्री या आदेश के तहत किसी लाभ के मामले में न्यायालय/न्यायाधिकरण को प्राधिकरण/समिति को ऐसी राशि हस्तांतरित करने की स्वतंत्रता होगी, जो प्राधिकरण/समिति द्वारा मुझे कानूनी सेवा प्रदान करने में व्यय की गई हो और मैं इस संबंध में प्राधिकरण/समिति को सही जानकारी भी प्रदान करूँगा/करूँगी।

मैं, इसके द्वारा यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि जहाँ असावधानीवश या अन्यथा, ऐसे न्यायालयों द्वारा ऐसी कोई लागत मेरे द्वारा वसूली योग्य होने का आदेश दिया जाता है और मेरे पक्ष में जारी की जाती है, वहाँ मैं ऐसी राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर संबंधित प्राधिकरण/समिति के समक्ष ऐसी लागत/प्रभार जमा कराने के लिए विधिक रूप से बाध्य हूँगा/रहूँगी और यदि मैं निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी राशि जमा नहीं कराता/करती हूँ, तो उक्त लागत/प्रभार उस जिले के कलेक्टर द्वारा, जिसमें मैं रहता/रहती हूँ या संपत्ति रखता/रखती हूँ, मुझसे भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाएँगे/सकेंगी।

स्थान :

दिनांकः

आवेदक

---

[33] AddedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/5/2001-4JJ(I) dated2.8.2002.

28. धारा 19 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट के अलावा लोक अदालत के अन्य व्यक्तियों का अनुभव और योग्यताएँ –कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के बैंच में शामिल किए जाने के लिए अहित नहीं होगा जब तक कि वह, –

(क) एक उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता न हो जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों, बच्चों, ग्रामीण तथा शहरी श्रमिकों को शामिल करके व्यक्तियों के कमजोर वर्गों के उत्थान में नहीं लगा हो; अथवा

(ख) प्रतिष्ठित अभिवक्ता ; अथवा

(ग) विख्यात व्यक्ति जो विशेष रूप से विधिक सेवा योजनाओं अथवा कार्यक्रमों के कार्यान्वन में रुचि रखता हो ।

28क.[34] लोक अदालत का निर्णय–

1. लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, यथास्थिति, सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जाएगा और जहाँ धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत को सौंपे गए किसी मामले में लोक अदालत द्वारा समझौता या निपटारा हो गया हो, वहाँ ऐसे मामले में भुगतान किया गया न्यायालय–शुल्क न्यायालय–शुल्क अधिनियम, 1870 के अधीन उपबंधित रीति से वापस किया जाएगा।

2. लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा और विवाद के सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा तथा निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी।

3. लंबित मामलों के संबंध में लोक अदालतों द्वारा पारित निर्णय उन न्यायालयों द्वारा निष्पादन योग्य होंगे जिनमें वे मामले लोक अदालतों द्वारा निर्णय पारित किए जाने से पूर्व लंबित थे।

4 तथापि, मुकदमे–पूर्व स्तर पर मामलों के संबंध में लोक अदालतों द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों या निष्पादन के लिए याचिकाएं जिला स्तर पर सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ श्रेणी) में से वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी के समक्ष तथा उप–मंडल स्तर पर वरिष्ठतम सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी, जो या तो स्वयं उनका निष्पादन कर सकते हैं या मुकदमे–पूर्व स्तर पर निपटाई गई राशि के संबंध में अपने से कनिष्ठ और आर्थिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी न्यायिक अधिकारी को सौंप सकते हैं।[35]

अध्याय X

विविध

29. निरसर और बचत

(1) हरियाणा राज्य निर्धन मुफ्त कानूनी सेवा तथा सलाह नियम 1982, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं :

---

[34]InsertedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/4/2000-4JJ(I)dated10.1.2001.
[35]InsertedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/4/2000-4JJ(I)dated4.6.2003.

परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन की गई कोई कार्यवाई इन नियमों के उपबन्धों के अनुरूप किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा की गई सभी अधिसूचनाएं, बनाए गए विनियम तथा आदेश वैध होंगे जब तक कि वे अधिनियम तथा इन नियमों के साथ असंगत नहीं।

30. विवेचन –यदि, इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा ।

अध्याय XI

अन्तर्वर्ती उपबन्ध

31. लुप्त किया गया।[36]

32. हरियाणा राज्य विधिक सेवा तथा सलाहकार समिति के कार्यकारी निदेशक तथा जिला स्तरीय विधिक सेवा तथा सलाहकार समिति के जिला न्यायवादी एवं सदस्य–सचिव का सचिवालय कर्मचारी क्रमशः राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में बना रहेगा

अनुसूची I

(नियम 9(1), 10(1), 16, 17 (1) देखें)

क्रम सं0	पद नाम	वेतनमान	अपेक्षित पदों की संख्या
1	सदस्य सचिव	3950–125–4700–150–5000 (संबर्ग में 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद) वेतनमान 3950–125–4700–150–5000(चयन ग्रेड) वेतनमान 5900–200–6700+विशेष वेतन 500 रु०	1
2	संयुक्त सदस्य सचिव	3000–100–3500–125–5000	1
3	लुप्त किया गया।[37]		

[36]InsertedbyHaryanaGovernmentvidenotificationNo.20/4/2000-4JJ(I)dated2.8.2002.
[37] Omitted by Haryana Government vide notification No. 20/5/2001-4JJ(I) dated 2.8.2002

4	अधीक्षक ग्रेड I	2000—60—2300—द0 रो0—75—3200—100—3500+ विशेष वेतन	1
5	उप अधीक्षक	1640—60—2600—द0रो0—75—2,900	1
6	लेखाकार	1400—40—1600—50—2300—द0रो०—60—2600	1
7	पुस्तकाध्यक्ष	1400—40—1600—50—2300—द० रो०—60—2600 + विशेष वेतन	1
8	वैयक्तिक सहायक	1640—60—2600—द0 रो०—75—2900+विशेष वेतन	1
9	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1400—40—1600—50—2300—द0 रो० 60—2600 +विशेष वेतन	1
10	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1200—30—1560—द0 रो०—40—2040 + विशेष वेतन	1
11	आशुटंकक	950—20—1150—द0 रो०—25—1500 +विशेष वेतन	1
12	सहायक	1400—40—1600—50—2300—द0रो0—60—2600	8
13	लिपिक	950—20—1150—द०रा0 25—1500	7
14	रेस्टोरर	950—20—1150—द0रो0—25—1500	1
15	दफ्तरी	800—15—1010—द0रो० 20—1150	1
16	चालक	1200—30—1560—40—2040+विशेष वेतन 200 रु०	2
17	सेवादार	750—12—870—द0रो0—14—940	5
18	चौकीदार	750—12—870—द0रो0—14—940	2
19	सफाईकर्ता	750—12—870—द0रो0—14—940	2

भाग— 2

ख

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों की आवश्यकता

क्रम संख्या	पदनाम	बेतनमान	अपेक्षित पदों की संख्या

1	सहायक [38]	1400—40—1600—50—2300—द0रो0—60—2600	1
2	लिपिक	950—20—1150—द0रो0— 25—1500	1
3	सेवादार	750—12—870—द0रो०—14—940	1

(हरियाणा राज्य के 17 जिलों में प्रत्येक में तीन पद, कुल पद = 51

अनुसूची 2

(देखिए नियम 9 (2)

क

भाग—1

हरियाणा राज्य विधिक सेवा तथा परामर्श समिति के मौजूदा कर्मचारीगण

कार्यकारी निदेशक हरियाणा राज्य स्तर विधिक सेवा तथा सलाह समिति के कार्यलय के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निम्मलिखित पद स्वीकृत किए गए थे :—

क्र0सं0	पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के नाम	पद का नाम	तिथि जब पदधारी ने पद ग्रहण किया	राज्य सरकार संसूचना
1	डॉ0 पारस दिवान	कार्यकारी निदेशक	01—03—1985	मीमो नं0 20 / 18 / 86—4जे. जे.(1) दिनांक 02—03—1995
2	डी0डी0 वोहरा	उप अधीक्षक	05—06—1985	
3	राजीव पुरी	व्यैक्तिक सहायक	24—09—1992	
4	ऐ0एस0 राना	सहायक	30—12—1986	
5	ऋषि राम भट्ट	सहायक	17—04—1989	
6	तृप्ता मलिक	लिपिक	14—02—1991	
7	कश्मीर सिंह	लिपिक	21—02—1991	
8	मातबर सिंह	चपरासी	08—01—1987	
9	भरत सिंह	चपरासी	06—08—1993	
10	भले राम	चालक	11—02—1988	

चूंकि हरियाणा राज्य निर्धन मुफ्त कानूनी सेवा तथा सलाह नियम, 1982 के अधीन निर्धनों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के कार्य को करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा उपर्युक्त पदधारियों के पद स्वीकृत किए गए थे, इसलिए उपर्युक्त पदघारी हरियाणा राज्य विधिक प्राधिकरण के कार्यालय में कार्य करने के लिये बने रहेंगे तथा इन नियमों की अनुसूची में दर्शाये गए वेतन तथा भत्ते लेने भो हकदार होंगे ।

[38] 10 Posts of Junior Scale Stenographers were sanctioned vide memo No. 20/27/87-4JJ(I) dated 19.2.2001 by Haryana Government for District Level Lok Adalats in lieu of 10 posts of Assistants.

भाग – 2

(देखिए नियम 16(2)

ख

हरियाणा सरकार द्वारा समय–समय पर हरियाणा के सभी जिलों में मौजूद जिला स्तरीय कानूनी सेवाओं और सलाह समितियों के जिला अटॉर्नी–सह–सदस्य सचिवों के कार्यालय के लिए निम्नलिखित पद स्वीकृत किए गए थे।

क्रम संख्या	पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के नाम	पद का नाम	तिथि जब पदधारी ने पद ग्रहण किया	राज्य सरकार के संसूचन
1	देवेन्द्र कुमार	लिपिक	अम्बाला	24–07–1992
2	शान्ति देवी	लिपिक	भिवानी	25–09–1985
3	नीलम कुमारी	लिपिक	फरीदाबाद	26–08–1985
4	करतार सिंह	लिपिक	गुरूग्राम	21–11–1985
5	भानमती	लिपिक	हिसार	17–09–1986
6	जय गोपाल	लिपिक	जीन्द	16–10–1985
7	रमेश कुमार	लिपिक	करनाल	26–11–1985
8	खाली	लिपिक	कैथल	––
9	शियो राम	लिपिक	कुरूक्षेत्र	03–12–1985
10	पवन कुमार	लिपिक	नारनौल	19–11–1993
11	अविनाश गुप्ता	लिपिक	पानीपत	11–08–1993
12	बिरेन्दर कुमार	लिपिक	रेवाड़ी	01–10–1985
13	विजय सिंह	लिपिक	रोहतक	28–01–1986
14	राजवन्ती	लिपिक	सोनीपत	10–12–1985
15	शीशपाल	लिपिक	सिरसा	06–12–1985
16	रविन्दर कुमार	लिपिक	यमुनानगर	27–05–1993

चूंकि हरियाणा राज्य निर्धन मुफ्त कानूनी सेवा तथा सलाह नियम, 1982 के अधीन निर्धनों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिये हरियाणा सरकार द्वारा उपर्युक्त पदधारियों के पद स्वीकृत किए गए थे, इसलिये उपयुक्त पदघारी अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में कार्य करने के लिये बने रहेंगे तथा इन नियमों की अनुसूची में दर्शाये गए वेतन तथा भत्ते लेने के हकदार होंगे।

नोट– हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 32 के आधार पर, उपरोक्त नामित अधिकारी जिन्हें हरियाणा सरकार के पत्र संख्या 20/18–864 4जे.जे.(1) दिनांकित–02–03–1995 के अनुसरण में लिपिक के रूप में भर्ती किया गया था, विभिन्न जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों में समाहित है।